न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– प्रभात बनाम प्रभाती देवी

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 63 वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र	
24.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं0 2, 3, 5, 7 से 20 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आए। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी सं0 1, 3, 4, 6 व 16 जरिये वकील उपस्थित आए। वकील उभय पक्ष की बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थीगण को भी सुना गया। हमने वकील उभय की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम गौरियां प0ह0 सुजावास भू0अ0नि0 रैवासा तह0 दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित भूमि ख0नं0 16, 17, 18, 19, 20, 21 कुल किता 6 कुल रकबा 4.8200 है0 अवस्थित है। वर्णित भूमियां प्रार्थी एंव अप्रार्थीसं0 1 ता 18 की संयुक्त कब्जे, काश्त की है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/28 तथा शेष हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार अप्रार्थी सं0 1 ता 18 का है। इसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 18 मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमियों का पक्षकारों के मध्य विधिवत रूप से बाई मिट्स एंव बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। मूल वाद में वकील वादीगण व प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र अं0 धारा 212 आरटीएक्ट पेश कर इसे स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 1 ता 5 को मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने हेतु निवेदन किया है। चूंकि प्रकरण में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायालय उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम गौरियां प0ह0 सुजावास भू0अ0नि0 रैवासा तह0 दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित भूमि ख0नं0 16, 17, 18, 19, 20, 21 कुल किता 6 कुल रकबा 4.8200 है0 में मूल वाद के निस्तारण तक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर	